भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

11.05.2016 को लोक सभा में

पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या : 2954

परमाणु संयंत्रों से प्रदूषित जल का प्रभाव

2954. श्री दुष्यंत चौटाला:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि गोरखपुर परमाणु विद्युत संयंत्र, हरियाणा से 320 क्यूसिक जल के विपथन से राज्य में 142,000 एकड़ भूमि सिंचाई से वंचित हुई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गोरखपुर विद्युत संयंत्र से प्रदूषित जल से डाउनस्ट्रीम कृषि प्रभावित हुई है और राज्य में मानव तथा पशुओं हेतु पेयजल को शैन-शैन जहरीला बना रहा है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने राज्य में इस संयंत्र के कार्यक्रम के प्रभाव पर कोई अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाही की गई है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना (जीएचएवीपी) के लिए पानी हरियाणा सरकार द्वारा आबंटित किया गया था तथा ऐसा करते समय डाउनस्ट्रीम भूमियों की सिंचाई आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया था। इस स्थल पर स्थापित होने वाली चार यूनिटों के लिए 320 क्यूसिक पानी का प्रावधान किया गया है। चारों यूनिटें प्रचालनरत होने की स्थिति में पानी की खपत 125 क्यूसिक होने की आशा है तथा बचा हुआ पानी नहर में वापस भेज दिया जाएगा।

(ख) भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों के स्थल चयन, डिजायन, निर्माण, प्रचालन तथा विकमीशनन जैसे सभी चरणों पर संरक्षा के कड़े मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करता है तथा अधिक कड़े नियामक नियंत्रण और अनुपालन सुनिश्चित करता है। भारत में स्थित सभी नाभिकीय सुविधाओं के अंदर तथा आसपास के परिसर में उचित पर्यावरणीय निगरानी कार्यक्रम संचालित करने की परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) की आरंभ से ही नीति रही है। विभिन्न बिजलीघरों के स्थलों पर किए गए अध्ययन यह स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि पर्यावरण में कोई भी अस्वीकार्य, रेडियोसक्रिय प्रदूषक संचित नहीं है। देश के नाभिकीय बिजलीघरों से होने वाले निस्सरण परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा निर्धारित सीमा से काफी कम हैं तथा उनका पानी पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता जिससे पानी पीने के या सिंचाई के योग्य न रहे।

(ग) तथा (घ) जी, हाँ। परियोजना के पर्यावरणीय क्लिअरन्स की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में परियोजना का (सार्वजनकि सुनवाई सहित) एक व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) किया गया था। ईआईए अध्ययन के आधार पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय क्लिअरन्स दिया गया था।

****